कार्यालय वनमंडल अधिकारी, [illegible] सागर वनमंडल (म.प्र.)

क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2018 / 2918

सागर दिनांक 27-7-18

2201
7-8-18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग
संभाग क्रमांक -01 सागर (म.प्र.)

विषय :- सागर जिले के अंतर्गत [illegible] मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर [illegible]।

संदर्भ :
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-11/2018-FC दिनांक 18.06.2018

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-13/81/2016/10 11/12/1896 दिनांक 02.07.2018

3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर का पृ. पत्र क्रमांक/व्यय/2018/542, 543, 554 दिनांक 29.01.2018 पत्र क्रमांक 582 दिनांक 30.01.2018 एवं आदेश क्रमांक 254,256 पृ. पत्र क्रमांक/1354, 1355 दिनांक 24.07.2018 एवं पृ. पत्र क्रमांक/258, 260 पृ.पत्र क्रमांक/1370,1371 दिनांक 25.07.2018।

4. वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर का पृ. पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/1709 दिनांक 04.07.2018

उपरोक्त विषयातर्गत कड़ान मध्यम परियोजना के डूबे क्षेत्र मे आने वाली वनभूमि रकवा 248.760 हे. बदले वैकल्पिक हेतु कलेक्टर जिला सागर के माध्यम से गैर वनभूमि रकवा 967.65 हे. का नामांकरण वन विभाग पक्ष में किया जा चुका है। इस आवंटित रकवा 967.65 हे. गैर वनभूमि मे से कड़ान मध्यम परियोजना में दक्षिण [illegible] वनमंडल के अंतर्गत रकबा 72.760 हे. दिया गया है। इस गैर वन भूमि मे 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार [illegible] कर संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी केसली/गौरझामर/देवरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुख्य वन संरक्षक [illegible] वृत्त सागर के संदर्भित पत्र द्वारा तकनीकि स्वीकृति जारी की गई है। दक्षिण सागर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम [illegible] मुडेरी भरदी, खरखरी, सहजपुरी के वृक्षारोपण योजना की राशि क्रमश रूपये [illegible]8000/ ,8448000 /,4389000 ,6415663/ कुल राशि 44420663/ (चार करोड़ चबालीस लाख बीस [illegible] छैः सौ त्रैसठ) एवं शर्तानुसार वृक्षारोपण योजना की कुल राशि के अतिरिक्त 25. प्रतिशत राशि [illegible]105165/- (एक करोड़ [illegible] हजार एक [illegible] पैसठ) होता है। इस तरह दोनो प्रकार की कुल राशि [illegible]25828/ (पाच करोड़ पचपन लाख पच्चीस हजार आठ सौ अट्ठाईस रुपये) होता है।

आप कृपया उक्त राशि 55525828/- रूपये अधोहस्ताक्षरकर्ता वनमंडलाधिकारी दक्षिण सागर के नाम [illegible] भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के कैम्पा [illegible] राशि सीधे जमा करे एवं राशि जमा करने का प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक विवरण सहित दस्तावेज प्रस्तुत करे। [illegible] वनमंडल स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जा रही पंजी की सॉफ्ट प्रति एक्सेल सीट के प्रतिमाह की [illegible] तारीख तक वन मुख्यालय भोपाल को जानकारी भेजी जा सके।

27.7.18

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वनमंडल

क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2018 / 2919

प्रतिलिपि :-

सागर दिनांक 27-07-2018

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडल अधिकारी देवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनपरिक्षेत्र अधिकारी केसली/गौरझामर/देवरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27.7.18

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सागर वनमंडल

पत्र पृष्ठांकन क्र. 2176 /कार्यालय ... सागर दि. 7.8.18

प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता. उपरोक्तानुसार